167

संख्या– 65 /ix-1/2013/215/2011

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

3–मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ, उत्तराखण्ड।

4–पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग–1 *देहरादूनः दिनांक 17 जनवरी, 2013*

विषयः–राज्य के विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों तथा राज्य सरकार के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु शासकीय वाहन के क्रय के सम्बन्ध में नीति।

महोदय

राज्य सरकार के अधीन स्थापित विभागों में विभिन्न स्तर के अधिकारियों को वाहन अनुमन्य किये गये है। इस अनुमन्यता के आधार पर विभागों द्वारा बजट के अनुरूप वाहन क्रय किये जाते हैं। कुछ विभागों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बाजार से वाहन किराये पर लिये जाते हैं। वर्तमान में राज्य में वाहनों के क्रय एवं रख–रखाव से सम्बन्धित व्यवस्था में एकरूपता न होने के कारण शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासकीय वाहन के क्रय के सम्बन्ध में निम्नवत नीति निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1. **विभिन्न श्रेणी के महानुभावों एवं अधिकारियों को शासकीय वाहनों के मॉडल/मूल्य की अनुमन्यता।**

श्रेणी	महानुभाव/अधिकारी*	अधिकतम वाहन क्रय मूल्य
A	मा0 केबिनेट मंत्रीगण, मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक पुलिस व समकक्ष अधिकारी	15 लाख तक
B	प्रमुख सचिव, सचिव, मण्डलायुक्त, आई.जी. पुलिस एवं अन्य समकक्ष	12 लाख तक
C	अपर सचिव, विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य समकक्ष	8 लाख तक
D	अन्य अधिकृत अधिकारी/निदेशालयों के अधिकारी/निगमों के अधिकारी आदि/समकक्ष	6 लाख तक

वाहनों के मॉडल –

आउटसोर्सिंग द्वारा अथवा शासकीय क्रय के माध्यम से अधिप्राप्त किये जाने वाले उपरोक्त श्रेणीवार निर्धारित मूल्य सीमा के भीतर आने वाले वह डीजल अथवा पेट्रोल चलित वाहन खरीदे/प्राप्त किये जा सकेंगे जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की डी0जी0एस0 एण्ड डी0 सूची में सम्मिलित होंगे।

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की डी0जी0एस0 एण्ड डी0 सूची से बाहर के मॉडलों की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

2. **शासकीय प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों को आउटसोर्सिंग प्रणाली/क्रय से अधिप्राप्त करने सम्बन्धी नीतिः–**

शासकीय प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों को आउटसोर्सिंग प्रणाली/क्रय आदि अधिप्राप्ति करने वाली प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन से अधिप्राप्ति के लिये निम्नलिखित विकल्प होगेः–

1. निजी वाहन के प्रयोग का विकल्प।
2. आउटसोर्सिंग से वाहनों को प्राप्त करने का विकल्प।
3. शासन द्वारा वाहनों का स्वयं क्रय एवं संचालन करना सबसे महंगा विकल्प है।

विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिप्राप्ति के निम्नलिखित विकल्प होंगे–

क्र. स.	श्रेणी		वाहन क्रय मूल्य–रेंज (मार्च, 2012 के मूल्य)	प्रणाली
1	A	Ministers, CS, DGP, Equivalent	15 लाख तक	शासन द्वारा अधिप्राप्ति अथवा आउटसोर्सिंग द्वारा
2	B	Pri. Secy., Secy, Comm. Equivalent	12 लाख तक	प्रथम विकल्पः–रिइम्बर्समेन्ट द्वितीय विकल्पः–आउटसोर्सिंग
3	C	Add. Secy., DM, SSP, Equivalent	08 लाख तक	प्रथम विकल्पः–रिइम्बर्समेन्ट द्वितीय विकल्पः–आउटसोर्सिंग
4	D	Others Below Category C above	06 लाख तक	प्रथम विकल्पः–रिइम्बर्समेन्ट द्वितीय विकल्पः–आउटसोर्सिंग
5	O	Negative List (Comm. DM, etc.)	As per B,C,D above	शासन द्वारा अधिप्राप्ति

Category "O" (Negative list) :

श्रेणी **"O"** (नेगेटिव लिस्ट) में वह पद हैं जो सवैधानिक हैं अथवा प्रशासन की गोपनीयता/ संवेदनशीलता/सुरक्षा के दृष्टिगत से ऐसे पद हैं, जिनके लिए वाहनों की अधिप्राप्ति/संचालन/रख–रखाव आउटसोर्सिंग के माध्यम से करना उचित नहीं होगा। इन पदों हेतु अधिप्राप्ति का दायित्व शासन के सम्बन्धित विभागों का ही होगा। इस श्रेणी में निम्नलिखित पद होंगे –

1. श्रेणी– **'A'** के सभी पद, परन्तु श्रेणी– **'A'** के लिए आउटसोर्सिंग का विकल्प भी खुला रहेगा।
2. मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, महानिदेशक पुलिस एवं जिला पुलिस अधीक्षक व अन्य जिन्हें समय–समय पर शासन द्वारा इंगित किया जाय।

3. शासकीय अधिकारियों को स्वचालित निजी वाहन व्यवस्था अनुमन्य करने तथा इस हेतु भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में नीतिः–

1. श्रेणी बी0 सी0 व डी0 के अधिकारियों को सर्वप्रथम अपने निजी वाहन को शासकीय कार्य हेतु प्रयोग करने का विकल्प रहेगा। प्रथम चरण में यह विकल्प केवल सचिवालय तथा देहरादून मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों को ही अनुमन्य होगा।

2. इस विकल्प को चुनने वाले अधिकारियों को निजी वाहन प्रयोग पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

3. निजी वाहन के प्रयोग किए जाने पर दावे के भुगतान हेतु अनुमन्य अधिकतम सीमा निर्धारण करने के अन्तर्गत निम्न तथ्यों को संज्ञान में लिया जायेगाः–

    1. Depreciation on capital cost say 6% of the capital cost. यदि वाहन की कीमत औसतन सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए रू0 दस लाख रखी जाए तो ₹ 60,000/– Depreciation प्रतिवर्ष होगा अर्थात् औसतन ₹ 5000/– प्रतिमाह।
    2. प्रतिमाह 120 लीटर पेट्रोल के औसत के आधार पर ₹ 70 प्रति लीटर के अनुसार ₹ 8,400/– प्रतिमाह ईधन व्यय।
    3. वाहन चालक का मानदेय ₹ 7000/– प्रतिमाह।
    4. प्रतिवर्ष वाहन का बीमा अर्थात् लगभग 2.5 प्रतिशत वाहन की कीमत का अर्थात् ₹ 25000/– प्रतिवर्ष जो हर वर्ष घटता रहेगा को दृष्टिगत रखते हुए ₹ 1500/– प्रतिमाह बीमा मद में व्यय।
    5. वाहन का रख–रखाव प्रतिमाह ₹ 1000/–
    6. इस प्रकार उपरोक्त बिन्दु 1 से लेकर 5 तक कुल ₹ 23,000/– प्रतिमाह होगा।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए C एवं D श्रेणी के अधिकारियों के लिए उनके वाहन की कम लागत एवं शहर में 10 से 12 कि0मी0 प्रतिलीटर के औसत को देखते हुए क्रमशः 100 लीटर एवं 80 लीटर प्रतिमाह तथा वाहन चालक के रूप में ₹ 7000/– प्रतिमाह एवं रख–रखाव को देखते हुए श्रेणी C के लिए ₹ 20,000/– तथा D श्रेणी के लिए ₹ 17,000/– की अनुमन्यता होगी।

	'बी' श्रेणी	'सी' श्रेणी	'डी' श्रेणी
	वाहन की औसत कीमत ₹ 10लाख	वाहन की औसत कीमत ₹ 7 लाख	वाहन की औसत कीमत ₹ 5 लाख
Depreciation @ 6% की दर से प्रतिमाह धनराशि	5,000	3,500	2,500

पेट्रोल	8,400(120 लीटर)	7,000 (100 लीटर)	5,600 (80 लीटर)
वाहन चालक मानदेय	7,000	7,000	7,000
बीमा	1500	1250	1000
रख–रखाव	1000	750	500
कुल योग	22,900– 23,000	19,500–20,000	16,600–17,000

2– निजी वाहन प्रयोगकर्ता द्वारा reimbursement claim की अनुमन्य सीमा तक प्रतिमाह अपना दावा आहरण वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार की प्रकिया अपनाए जाने पर आयकर अधिनियम की धारा 10(14) नियम 2BB के अन्तर्गत आयकर से छूट प्रदान है। वाहन के उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा निवास से कार्यालय आने जाने हेतु वाहन के उपयोग पर ₹ 500/– की कटौती करते हुए भुगतान दावा प्रस्तुत किया जाएगा।

यदि कोई अधिकारी किसी माह में 15 या उससे अधिक दिन कार्यरत रहता है तो अनुमन्यता की धनराशि की सीमा के अन्तर्गत अन्यथा 15 दिन से कम रहने पर आधी धनराशि दिए जाने पर विचार किया जा सकता है क्योंकि 15 दिन से कम रहने पर भी वाहन चालक एवं Depreciation आदि का व्यय तो होता ही रहेगा। प्रत्येक वर्ष के पश्चात् ईंधन के मूल्य में वृद्धि अथवा कमी होने पर निजी वाहन प्रयोग दरों को पुनरीक्षित करने पर विचार किया जाएगा।

तत्काल प्रभाव से नई गाड़ियों (A श्रेणी को छोड़ते हुए) के क्रय एवं वाहन चालक की भर्ती पर रोक लगायी जाती है। ग्रेड पे 7600/– से निम्न अधिकारियों को चिन्हित कर वाहन की आवश्यकतानुसार एवं पूर्ण औचित्य के साथ प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त वाहन अनुमन्य किया जायेगा। सभी विभागाध्यक्षों से वर्तमान में उपलब्ध वाहन तथा नियमित वाहन चालकों की संख्या भी प्राप्त कर ली जाए जिसके आधार पर निर्णय लेने में सुगमता होगी। इसके लिए परिवहन विभाग को नोडल विभाग बनाया जाता है।

राज्य सम्पत्ति विभाग में श्रेणी A के द्वारा वर्तमान में प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों को यदि वापस करते हुए नए वाहन की मांग की जाती है तो ऐसी स्थिति में राज्य सम्पत्ति द्वारा प्रथमतः निष्प्रयोज्य वाहन के बदले श्रेणी A से प्राप्त वापस वाहनों (Handed Down Cars) को प्रयोग में लाया जाएगा। यदि Handed Down Cars की उपलब्धता नहीं है उस स्थिति में बाह्य स्रोत से वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

इसी प्रकार नए वाहन के क्रय की रोक लगने के पश्चात् B,C एवं D श्रेणी के अधिकारियों द्वारा उन परिस्थितियों में जब उनको उपलब्ध कराए गए सरकारी वाहन निष्प्रयोज्य की श्रेणी में आ जाते हैं तब उन्हें भी Handed Down Cars उपलब्ध कराई जाएंगी। Handed Down Cars की उपलब्धता न होने पर उन्हें निजी कार का प्रयोग सरकारी ड्यूटी के लिए अनुमन्य किया जा सकता है, यदि अधिकारी निजी कार का प्रयोग नहीं करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में बाह्य स्रोत से वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

बाह्य स्रोत से वाहन की उपलब्धता कराए जाने के दृष्टिगत परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में अपर परिवहन आयुक्त, राज्य सम्पत्ति अधिकारी, अपर सचिव वित्त एवं आर0टी0ओ0, देहरादून की एक कमेटी गठित होगी, जिनके द्वारा मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र के लिए बाह्य एजेन्सी से विभिन्न माडलों की वाहनों के लिए निविदा आमंत्रित करके दरें प्राप्त की जायेगी, जिसमें ईंधन व्यय शामिल नहीं होगा तथा एक माह में औसत अधिकतम दूरी के उपयोग के बाद एक बढी हुई दर भी हो सकती है। इस प्रकार बाह्य स्रोत से निर्धारित श्रेणी वाले अधिकारियों के लिए विभाग समान दरों पर वाहन किराए पर ले सकेंगे।

4. उपरोक्त नीतियों के परिणाम स्वरूप शासकीय वाहन चालकों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली स्थिति के निस्तारण सम्बन्धी नीतिः–

आउटसोर्सिंग तथा रिइम्बर्समेन्ट प्रणाली के प्रचलित होने पर कुछ संख्या में वर्तमान में सेवारत शासकीय चालक वाहनहीन/redundant हो जायेंगे। उस स्थिति में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।

1. भविष्य में नये चालकों की नियुक्ति को सामान्यतः प्रतिबन्धित कर दिया जाय तथा ए (**A**) श्रेणी के महानुभावों हेतु चालकों के नियुक्ति की प्रकिया पृथक से तय कर ली जाय।
2. वर्तमान में redundant कार्यहीन/वाहनहीन हुये चालकों को सर्वप्रथम एक आकर्षक वी.आर.एस. (स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति) का विकल्प दिया जाय।
3. तदोपरान्त बचे हुये चालकों को शासन के अन्य विभागों में चालकों की रिक्त पदों पर सेवा–स्थानान्तरित किया जाना होगा।
4. बचे हुये वाहन चालक वर्तमान में उपलब्ध शासकीय वाहनों पर कार्यरत रहेंगे।

उपरोक्त चारों विकल्पों के कियान्वयन हेतु विस्तृत नीति/गणना/व्यवस्था राज्य सम्पत्ति विभाग तथा कार्मिक विभाग द्वारा पृथक से की जानी होगी।

वाहनों की लागत सीमा को देखते हुए श्रेणी A के लिए बाजार दर पर तथा अन्य सभी श्रेणियों के लिए DG S&D की दरों पर वाहन क्रय किया जायेगा। वर्तमान में उपलब्ध वाहनों एव उनकी कीमत को देखते हुये विभिन्न श्रेणी के लिए निम्न मेक के माडल उपलब्ध कराये जायेगें तथा सभी वाहनों का **रंग सफेद** होगा।

श्रेणी	महानुभाव/अधिकारी	वाहन का अधिकतम मूल्य	माडल
A	मा0 कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक पुलिस एवं समकक्ष अधिकारी.	15 लाख तक	1-Toyota-Innova VX(Diesel) 2-Skoda-Laura 3-Honda-City 4-Mahindra XUV 500
B	प्रमुख सचिव,	12 लाख तक	1-Toyota-Innova 2-Honda-City

	सचिव, मण्डलायुक्त, आईजी पुलिस, अन्य समकक्ष		3-Maruti-SX4, 4-Swift Disire
C	अपर सचिव, विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य समकक्ष	08 लाख तक	1-Maruti-SX4, Swift Disire, Ertiga 2-Tata-Indigo, Manza
D	अन्य अधिकृत अधिकारी/निदेशालयों के अधिकारी/निगमों के अधिकारी आदि/समकक्ष	06 लाख तक	1-Tata-Indigo, CS 2-M &M Bulerrro

5– उक्त के अतिरिक्त दायित्वधारी/दर्जाधारी व समकक्ष महानुभावों को एम्बेसडर कार अनुमन्य होगा।

6– उपरोक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

डा0 उमाकान्त पंवार
सचिव

संख्या– 65 /ix-1/2013/215/2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5– समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड।
8– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
9– सचिवालय के समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10– महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नितेश कुमार झा)
अपर सचिव